लालसोट जिला दौसा

15/6/12 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा
जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लालसोट(दौसा)
किस्म मुकदमा फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

मु0नं0 19/19 सम्पति देवी बनाम् राज0 सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14–06–2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण श्री रामबाबू शर्मा एडवोकेट उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 में दिनांक 21–06–2019 को रिपोर्ट आ चुकी है। ख0नं0 315 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसकी खातेदारी पूर्व मूल्या पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी मण्डावरी के नाम अंकित थी। बाद वफात मूल्या के उसकी विरासत भरतलाल, रामस्वरूप, प्यारेलाल के हक में खोली गई। भतरलाल का इंतकाल 2015 में हो चुका है। जिसकी विरासत प्रार्थीगण के नाम खुल चुकी है। प्रार्थीगण उक्त जमीन के खातेदार है। दिनांक 03–06–2019 को तहसीलदार द्वारा भूमि का सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। प्रार्थीगण मुताबिक सीमाज्ञान भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। मेरे विनम्र मत में ख0नं0 315 का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 03–06–2019 की शर्त के आधार पर पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, सीमाज्ञान रिपोर्ट तथा तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत बिन्दूवार रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया है। मेरे विनम्र मत में प्रकरण में सीमाज्ञान की शर्त के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना उचित है। अतः तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता हैं कि दो कुशल गिरदावर, पटवारीयो की टीम गठित कर उपरोक्त वर्णित आराजीयात भूमि ख0नं0 315 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा का सीमाज्ञान की शर्त के अनुसार मौके पर जाकर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी कायम करवायी जावे एवं राजकीय शुल्क प्रार्थी से नियमानुसार प्राप्त करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज0)	